01 / 2016 प्रा.पत्र / 2016

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री प्रहलाद साहू पुत्र श्री राधेश्याम तेली निवासी तेलियों की गली छोटा तख्ता टोंक जिला टोंक मैसर्स मनभावन नमकीन एण्ड स्वीट्स छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक।

2– मैसर्स मनभावन नमकीन एण्ड स्वीट्स छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक।

3–श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल प्रोपरायटर मैसर्स खण्डेलवाल सेल्स एजेन्सी जी.18 रिद्वी सिद्वी मार्केट 1298, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग चांदपोल बाार जयपुर।

4– मैसर्स खण्डेलवाल सेल्स एजेन्सी जी.18 रिद्वी सिद्वी मार्केट 1298, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग चांदपोल बाार जयपुर।

5–श्री शिवरतन अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर।

6–श्री केदार चन्द अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर।

7–श्रीमति सुशीला देवी डायरेक्टर मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर।

8–श्री दीपक अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर।

9–श्रीमति श्वेता अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर।

10–श्री श्रवण कुमार जैसरिया डायरेक्टर मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर।

11–श्रीमति संगीता देवी जेसनसरिया डायरेक्टर मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर।

12–मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ / 196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर।

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)एवं दण्डनीय धारा 51व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 व 2 श्री कैलाश शर्मा

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 3 ता 12 श्री विक्रम जैन एवं श्री रोमेन्द्र गूर्जर उप.।

दिनांक 28/8/25

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.08.2015 को समय सायं 03:45 पी.एम. पर मैसर्स मनभावन नमकीन एण्ड स्वीट्स छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

साहू पुत्र श्री राधेश्याम तेली ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में मिठाई, नमकीन, कचौरी–समौसे के साथ–साथ दुकान में कागज के एक कार्टून में 500 ग्राम पैक के लगभग 12 पैकेट पैक्ड अवस्था में **सोन पपड़ी (बीकाजी ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री प्रहलाद साहू पुत्र श्री राधेश्याम तेली को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री प्रहलाद साहू पुत्र श्री राधेश्याम तेली व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान में कागज के कार्टून में रखे 500 ग्राम पैक के लगभग 12 पैकेट पैक्ड अवस्था में **सोन पपड़ी (बीकाजी ब्राण्ड)** जिसके बैंच नं0 15एच 80 एवं पैंकिग की दिनांक 20 अगस्त 2015 थी, को ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 500 ग्राम के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सोन पपड़ी (बीकाजी ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 500–500 ग्राम पैक को एक–एक पैकेट के नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1084 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1084 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री प्रहलाद साहू पुत्र श्री राधेश्याम तेली मैसर्स मनभावन नमकीन एण्ड स्वीट्स छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स खण्डेलवाल सेल्स एजेन्सी जी.18 रिद्वी सिद्वी मार्केट 1298, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग चांदपोल बाार जयपुर एवं मैसर्स खण्डेलवाल सेल्स एजेन्सी जी.18 रिद्वी सिद्वी मार्केट 1298, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग चांदपोल बाार जयपुर ने बतौर वारन्टी मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ/196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीज एरिया, बीकानेर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **सोन पपड़ी (बीकाजी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश शर्मा एवं श्री विक्रम जैन, श्री रोमेन्द्र गूर्जर उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सोन पपड़ी (बीकाजी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 व 52**(सहपठित धारा 49)** में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगणको भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सोन पपड़ी (बीकाजी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 **(सहपठित धारा 49)** के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/8/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक